फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

नाथू बनाम हनुमान वगै0

संख्या : दावा 531/2008

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
22.10.2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण ने वाद विड्रो करने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र धरा 136 एल.आर. एक्ट न्यायालय एस.डी.ओ. आमेर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णित किया गया है जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में विचाराधीन है जिस कारण से उक्त वाद आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा वाद विड्रा करना चाहते है। उक्त वाद में यदि राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में प्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार का प्रभावी आदेश हो जाता है जिसके कारण प्रार्थीगण को यदि उक्त खसरा नम्बर के संबंध में पुनः न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर वाद को विड्रा किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने नया वाद की अनुमति देने पर आपत्ति की। बहस एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूकि वादी ने वर्ष 2006 से वाद प्रस्तुत कर रखा है वादी ने स्वच्छ हाथो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को विड्रा करना चाहा है यदि वादी को उक्त अनुतोष सक्षम न्यायालय से नही मिलता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है अतः वादीगण द्वारा वाद विड्रा करने पर नया वाद प्रस्तुत करने की [illegible] वाद विड्रा किया गया। वादीगण की पहचान [illegible] द्वारा की गई। फलस्वरूप वाद वादी विड्रा के [illegible] पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:49 IST
Reason: SelfAttested